

उपरोक्त मुकदमा नमूना/कका

फर्क अहकाम

नाम न्यायालय

गंगाधर

बनाम साकल

केस संख्या 117/2018

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>उक्त प्रकरण के न्यायालय में दर्ज रखा गया किता गंगाधर जी की ओर से एडवोकेट राजेश कुमार पांडेय ने कोर्ट के अग्रिम में कहा कि पुराने नक़्शे अनुसार विवाहित भूमि के हाल नमूने के अनुसार किया जाके काली जमीन की कटौत करने पर एक तहसीलदार पंचायतमण्डल की निकाय पर नगर नगर के उपरान्त तहसीलदार ने भू-प्रकार के पूर्व नक़्शा एकीकरण तथा हाल में नमूने के नये नमूने में काफी कमरे है इन्फ़ोर्मेशन जो एन 136 के अंतर्गत है किया जाते है तथा विवाहित भूमि के हाल नक़्शे को पुराने नक़्शे अनुसार शक्य तरीके करने से इतने इतने नमूने के आदेश तहसीलदार पंचायतमण्डल के रूप में है एक तहसीलदार राजा निकाय में कराने के आदेश की जति तहसीलदार पंचायतमण्डल के पालनाम से भिन्न जाके पंचायत नमूने अनुसार नमूने के कर हो वाद नये करीब 2500 रु)</p> <p>निर्णय हुआ नमूने 10/11/18</p>	

साकल
पंचायतमण्डल